भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार /Government of India
TRAI

2 सितंबर 2021

निर्देश

विषयः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 की धारा 13 सपठित धारा 11 के अंतर्गत शुल्क की पेशी के संबंध में भादूविप्रा की विनियमों/ निर्देशों/ परामर्शों/आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश

नं. सीसी-5/2(1) /2021-एफएण्डईए-भाग (1): जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, (यहां पर "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित), जिसे भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित किया गया है (यहां पर "भादूविप्रा अधिनियम, 1997" के रूप में संदर्भित) को अन्य कार्यों के साथ साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, भारत और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाओं की दरों को अधिसूचित करने और दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ कार्य सौंपे गए हैं।

2. और जबकि प्राधिकरण ने, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत दूरसंचार शुल्क आदेश, 1999 जारी किया (जिसे यहां "टीटीओ 1999" कहा गया है)

3. और जबकि टीटीओ 1999 का अनुच्छेद 10 अन्य बातों के साथ साथ निम्न का प्रावधान करता हैः

"10 गैर-भेदभावपूर्णः कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार से एक श्रेणी के ग्राहकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा और ग्राहकों का इस प्रकार का वर्गीकरण मनमाने तोर से नहीं होगाः

बशर्ते कि ग्राहकों का प्रत्येक वर्गीकरण स्पष्ट आधार पर होगा और उक्त वर्गीकरण के स्पष्ट आधार का वर्गीकरण के उद्देश्य के साथ तार्किक संबंध होगा ....."

4. और जबकि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की प्रक्रिया के माध्यम से टीएसपी के नेटवर्क में जुड़ने वाले ग्राहकों को विशिष्ट शुल्क देने के संबंध में प्राधिकरण ने पत्र क्रमांक 310-7(41)/2010-इको दिनांकित 27.01.2011 के माध्यम से स्पष्ट किया किः

"दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क से आए ग्राहकों को खास शुल्क की पेशकश एक वैध और तर्कपूर्ण वर्गीकरण नहीं है क्योंकि इस प्रकार के वर्गीकरण के निहीत उद्देश्य स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है और टीटीओ 1999 के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के विरुध है।"

उक्त पत्र के माध्यम से सभी सेवा प्रदाताओं को इस प्रकार के सभी शुल्क यदि वे लागू हो तो वापिस लेने की सलाह भी दी गई थी ;

5. और जबकि हाल ही में प्राधिकरण को दूरसंचार सेवा प्रदाताओ द्वारा परस्पर एक दूसरे के विरुध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां विरोधी दूरसंचार सेवा प्रदाताओ द्वारा पेश किए जा रहे एमएनपी-विशिष्ट शुल्को के पेशकेश का आरोप लगाया गया है। आमतौर पर इस प्रकार की भेदभावपूर्ण एमएनपी-

विशिष्ट शुल्को के पेशकेश के आरोपों का दूरसंचार सेवा प्रदाताओ द्वारा खण्डन किया गया है। लेकिन कतिपय मामलों में कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओ द्वारा यह कहा गया है कि उनके चैनल भागीदारों द्वारा बगैर उनकी अनुमति के उनके चैनल भागीदारों द्वारा स्वयं ही ग्राहकों को कुछ एमएनपी-विशिष्ट लाभ प्रदान किए गए हो सकते है ;

6. और जबकि चैनल भागीदार/वितरक/रिटेलर/तीसरे पक्ष की ऐप्प्स (APPS) गैर लाइसेंसधारी इकाईयां हैं जिन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाताओ द्वारा दूरसंचार सेवाओं की पेशकश को प्रदान करने के लिये नियुक्त किया गया है और जबकि समय-समय पर जारी शुल्को के पेशकेश के संबंध में विभिन्न विनियामक प्रावधानों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन की जबाबदेही दूरसंचार सेवा प्रदाताओ की है;

7. और जबकि प्राधिकरण के सुविचारित दृष्टिकोण से एमएनपी-विशिष्ट शुल्क पेशकश टीटीओ 1999 और गैर-भेदभावपूर्ण शुल्को के पेशकेश के संबंध में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य विनियमों/ निर्देशों/ आदेशों आदि का उलंघन करती हैं।

8. इसलिए अब प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की धारा 13 सपठित धारा 11 और दूरसंचार शुल्क आदेश, 1999 के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सभी पक्षों पर विचार करने के बाद, और पारदर्शिता, एकरूपता, और ग्राहकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि:

1. केवल भादूविप्रा को रिपोर्ट किए गए शुल्कों को ही उनके चैनल भागीदारों/ वितरकों/ रिटेलरों/ तीसरे पक्ष की ऐप्प्स (APPS) आदि के माध्यम से पेश किया जाए; और

2. सभी शुल्क पेशकश इस संबंध में जारी भादूविप्रा के विनियमों/ निर्देशों/ आदेशों आदि की अनुपालना में हों, जहां टीएसपी का नाम/ब्रांड उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग/ पेशकश/ बिक्री के लिए प्रयोग किया जाता है, भादूविप्रा के दिशानिर्देशों/ प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करवाना दूरसंचार सेवा प्रदाताओ की जिम्मेदारी होगी।

(कौशल किशोर) 2/9/21.
सलाहकार (एफ एण्ड ई.ए.)

डिस्क्लेमर: यह निर्देश मूल रूप से अँग्रेजी मे लिखित निर्देश का हिन्दी अनुवाद है ।
यदि इसमे कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अँग्रेजी मे लिखित निर्देश मान्य हो ।